

नय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राजस्थान

नवान लेखाराम लाल लालबायी वग मुकदमा नं० 3/24
8/8/19

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस हुक्म
 की तामील में जारी हुए

तारीख
 हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

8/8/19

ज्ञान पत्र जा. फा. जा. फा. के तालील द्वारा
 पेश किया गया। रिपोर्ट अप्रतिलिपु की जा
 जा. फा. उ. र. ए। जा. फा. गी. को वर
 गोप्यता रख कर पत्रावली रिपोर्ट
 31/9/19 को पेश हो।

5/8
 31/9/19 के पांडुपत्र के तालील द्वारा
 कोष प्राप्ति, बादा/अप्राप्ति, प्रमाणित उप.
 रोकासीन अधिकारी शिवमारी देवी
 दिनांक 14/9/19 को पेश हो।

12/9/19

पत्रावली पेश हुई। इस पाठ फा से संबंधित थूलवाड
 राजीनामा के आधार पर खारिज हो-उठाने का
 इस पाठ फा के चलने का कोई कोचिलम नहीं
 है। अतः पाठ फा हुक्म उठली सूची स्तर पर खारिज
 किया जायगा। फिलहाल इसल श्रुति होकर गवाह
 उठती जाकर वाड तालील शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 थानागाजी (अलवर)